

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
14/022	188 RTA	शुलीत	बुडाडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अमरलाल वगै.	बनाम	श्यामलाल वगै.

वकील :- म.र. सिंह जादौन एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

14/2/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.04.2022 को पेश हो।

04/2/22

रीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/5/22 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा,

23/2/22

रीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/7/22 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा,

11/7/22

रीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/8/22 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा,

22/8/22

रीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27/9/22 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा,

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादीगण उपर  
 लगी है। न्यायालय ने रुक-रुक कर तीन बार आवज  
 लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय कर्षनासी  
 शर्तित होने तक इंतजार किया गया। प्रकरण ऊडक  
 धजरी ऊडक देवी के खारिज किया गया है। पत्रावली  
 पेशाल सुनार होकर सम्पन्न प्लर हो।

✍